भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1671
18 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई-यू के तहत दिए गए घर

1671 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2018-19 से 2023-24 तक प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत राज्य और जिला-वार, वर्टिकल वार, वर्ष-वार कुल कितने घरों की मांग की गई;

(ख) 2018-19 से 2023-24 तक पीएमएवाई-यू के तहत राज्य और जिला-वार, वर्टिकल वार, वर्ष-वार कुल कितने मकान संस्वीकृत किए गए हैं;

(ग) 2018-19 से 2023-24 तक पीएमएवाई-यू के तहत राज्य और जिला-वार, वर्टिकल वार, वर्ष-वार कुल कितने घरों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(घ) 2018-19 से 2023-24 तक पीएमएवाई-यू के तहत राज्य और जिला-वार, वर्टिकल-वार, वर्ष-वार कुल कितने मकानों का निर्माण पूरा हुआ; और

(ङ) 2018-19 से 2023-24 तक पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थियों को राज्य और जिला-वार, वर्टिकल-वार, वर्ष-वार कुल कितने मकान दिए गए?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ड.): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता देकर जून, 2015 से 'सभी के लिए आवास' मिशन के तहत सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित

निर्माण/वृद्धि (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण सम्बधी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है।

पीएमएवाई–यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना के तहत आवासों की अपनी अनुमानित मांग के अनुसार परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और उन्हें संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित कराते हैं। संबंधित एसएलएसएमसी से अनुमोदन के पश्चात, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता की मंजूरी के लिए इस मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

04.12.2023 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू के तहत 118.63 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 113.43 लाख आवास निर्माणाधीन हैं; जिनमें से 78.27 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं /लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सुपुर्द आवासों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों घटकों और वर्ष-वार (2018-2023) ब्यौरा निम्नलिखित लिंक पर दिया गया है:

https://pmay-urban.gov.in/PHQ/state-district-vertical-year-wise-phy-RSUQ1671.pdf
